

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :- 46/2024

अपीलकर्ता

1 हेमाराम पुत्र शम्भुराम
जाति मेगवाल निवासी
बालेरा तहसील व जिला
बाड़मेर।

वनाम

उत्तरदातागण

1 ग्राम पंचायत बालेरा जरिये सरपंच 2 प्रिन्स
पुत्र बांकाराम नावालिग जरिये कुदरती वली
माता ममता पत्नी बांकाराम 3 ताजाराम पुत्र
शम्भुराम जाति मेगवाल निवासी बालेरा तहसील
व जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

उपस्थिति :-


1. श्री वेदनृप रणजीओत, वकील अपीलकर्ता।
2. श्री हितेश गोयल, वकील उत्तरदाता संख्या 02 व 03।

आदेश

दिनांक 19/06/2024

संक्षिप्त में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर में अपीलकर्ता एवं उत्तरदाता संख्या 03 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 405/110 रकबा 1.3274 हैक्टेयर व खेत खसरा संख्या 408/111 रकबा 1.7401 हैक्टेयर भूमि आई हुई थी जिसमें अपीलकर्ता का 1/2 हिस्सा तथा उत्तरदाता संख्या 03 का 1/2 हिस्सा संयुक्त खातेदारी अधिकारों का आया हुआ था। अपीलकर्ता द्वारा वादग्रस्त खेत में से अपने 1/2 हिस्से में से 1/8 हिस्से की भूमि उत्तरदाता संख्या 02 को भेंट पत्र बख्सीसनामा के दिनांक 26.02.2024 को दी थी तथा उक्त दस्तावेज को उसी दिन पंजीयन करवा दिया गया। उत्तरदाता संख्या 02 द्वारा उक्त दस्तावेज को उत्तरदाता संख्या 01 द्वारा नामान्तरण भरते समय दस्तावेज का सही अवलोकन नहीं करते हुए 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरण संख्या 679 दिनांक 12.06.2024 को स्वीकृत कर अपीलकर्ता का नाम विलोपित कर दिया परन्तु उक्त दस्तावेज अनुसार अपीलकर्ता के 1/2 हिस्से में से 1/8 हिस्से की भूमि ही उत्तरदाता संख्या 02 के पक्ष में जरिये पंजीबद्ध भेंट पत्र के निष्पादित किया गया था। उक्त नामान्तरण भरते समय उत्तरदाता संख्या 01 द्वारा उत्तरदाता संख्या 02 के पक्ष में नामान्तरण पारित कर भारी तथ्यों की भूल की है।

के खेत खसरा संख्या 832, 833 व 837 रकबा 196.09 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि में अपीलकर्ता व उत्तरदाता संख्या 02 से 05 के पिता स्व. देराजराम पुत्र भेराराम के नाम खातेदारी की आई हुई थी। उनके विधिक वारिशान अपीलकर्ता व उत्तरदाता संख्या 02 से 05 है। उनके देहान्त पर विरासतन का नामान्तरण संख्या 130 उत्तरदाता संख्या 01 द्वारा बिना विधिक वारिशान की जांच कर उत्तरदाता संख्या 02 से सांठगांठ कर उत्तरदाता संख्या 02 व पन्नीदेवी के नाम से गलत रूप से भरवा दिया जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 06 के तहत अपीलकर्ता व उत्तरदाता संख्या 02 से 05 देराजराम पुत्र भोमाराम के विधिक वारिशान है। अपीलकर्ता व उत्तरदाता संख्या 02 से 05 के नाम नामान्तरण पारित किया जाना चाहिए था। अपीलकर्ता का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है। अपीलकर्ता द्वारा सर्वप्रथम पटवारी हल्का शिवकर से अपीलाधीन भूमि के खातेदारी रेकॉर्ड की जानकारी ली तब दिनांक 14.12.2023 को ज्ञात हुआ कि अपीलकर्ता व उत्तरदाता संख्या 03 से 05 के नाम खातेदारी में अंकित नहीं है तब अपने अधिवक्ता द्वारा अपीलकर्ता द्वारा रेकॉर्ड की जांच उपखण्ड अधिकारी के निवास पर ज्ञात हुआ कि नामान्तरण संख्या 130 खोलते समय उत्तरदाता संख्या 02 व


उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

पन्नीदेवी के साथ अपीलकर्ता के नाम अंकित नहीं हुआ जो विधि द्वारा वर्जित है। देराजराम के फौत होने पर उनकी फौतेगी का नामान्तकरण संख्या 130 को स्वीकृत कर भरा गया था जो उतरदाता संख्या 02 ने उतरदाता 01 से मिलकर मृतक देराजराम के वारिश मात्र उतरदाता संख्या 02 व माता पन्नीदेवी के नाम पारित करवा लिया तथा पटवारी हल्का ने नामान्तकरण की कार्यवाही खोलेते समय अपीलान्त का नाम साथ में अंकित नहीं किया जबकि मृतक देराजराम अपीलान्त व उतरदाता संख्या 02 से 05 के पिता थे। अपीलान्त ग्रामीण परिवेश व अनपढ महिला होने से उक्त नामान्तकरण का ज्ञान नहीं हुआ। अपीलान्त ने राजस्व रेकॉर्ड की नकले मांगी तब अपीलान्त को उक्त नामान्तकरण संख्या 130 को सर्वप्रथम ज्ञान हुआ। अपीलान्त के पिता देराजराम का स्वर्गवास सन् 2005 को हो गया तथा पन्नीदेवी का देहान्त हो चुका है। देराजराम की फौतेगी का नामान्तकरण संख्या 130 पटवारी हल्का द्वारा जो नामान्तकरण खोला गया जो अशुद्ध है, जिसे निरस्त कर शुद्ध नामान्तकरण पारित किये जाने का निवेदन किया।


अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदातागण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। उतरदातागण ईकतरफा।


वकील अपीलकर्ता की बहस सुनी गई। वकील अपीलकर्ता द्वारा म्याद के बिन्दु पर बहस करते हुए अवगत करवाया कि अपीलकर्ता द्वारा सर्वप्रथम पटवारी हल्का शिवकर से अपीलाधीन भूमि के खातेदारी रेकॉर्ड की जानकारी ली तब दिनांक 14.12.2023 को ज्ञात हुआ कि अपीलकर्ता व उतरदाता संख्या 03 से 05 के नाम खातेदारी में अंकित नहीं है तब अपने अधिवक्ता द्वारा अपीलकर्ता द्वारा रेकॉर्ड की जांच करवाने पर ज्ञात हुआ कि नामान्तकरण संख्या 130 खोलते समय उतरदाता संख्या 02 व पन्नीदेवी के साथ अपीलकर्ता के नाम अंकित नहीं हुआ जो विधि द्वारा वर्जित है। अपीलान्त को दिनांक 14.12.2023 को नामान्तकरण की नकले प्राप्त करने पर उक्त गलत फौतेदगी नामान्तकरण का ज्ञान हुआ। जानकारी प्राप्त होते ही उसके द्वारा अपील की गई है। अपील अन्दर म्याद सुमार कर आदेश पारित करने का निवेदन किया।

वकील अपीलकर्ता को सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी गंभीरता से अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलाधीन भूमि में स्वर्गीय देराजराम की फौतगी पर पारित नामान्तकरण संख्या 130 दिनांक 20.06.2006 में स्व. देराजराम पुत्र भोमा के विधिक वारिशान की जांच किये बिना उतरदाता संख्या 01 द्वारा पारित किया गया है। उक्त नामान्तकरण को निरस्त कर नये सिरे से नामान्तकरण पारित किये जाने हेतु तहसीलदार वाडमेर ग्रामीण को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर मौजा धन्ने का तला वर्तमान ग्राम दौलत नगर पटवार हल्का शिवकर तहसील वाडमेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 832 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 833 रकबा 14.1478 हैक्टेयर व खसरा संख्या 837 रकबा 17.6119 हैक्टेयर भूमि में पारित नामान्तकरण संख्या 130 दिनांक 20.06.2006 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार वाडमेर ग्रामीण को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि देराजराम पुत्र भोमाराम के विधिक वारिशान की जांच करते हुए वाद जांच नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तकरण पारित करें तथा तदनुसार वर्तमान अभिलेख में भी आवश्यक संशोधन करें।

आदेश आज दिनांक 19/06/2025 को सरें इजलास सुनाया गया।


(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), वाडमेर


उपखण्ड अधिकारी